

SHRI RAJEEV SHUKLA (Maharashtra): Just one minute, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your problem?

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, there is only one week left. A lot of issues still remain to be discussed ... (Interruptions)... So, why don't you give an instruction that this issue should be taken up for discussion during this week only? ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you want to take up this discussion during this week only, tomorrow morning we can decide about it. There is no problem in that. Now, Shri Sukhendu Sekhar Roy, your time starts now.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Irregularities being committed by third party mediclaim agents

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, in the Government insurance companies, ये जो third-party agents नियुक्त कर रहे हैं, जिसको TPA कहा जाता है, जिन लोगों की मेडिकलेम की पॉलिसी है, उन पॉलिसी होल्डर्स को ये लोग हमेशा ठग रहे हैं और इन लोगों का कोई राइट नहीं है। As per the Insurance Regulatory and Development Authority guidelines, TPA can neither slash nor reject the claim in any manner whatsoever because यह इश्योरेंस कम्पनी का अधिकार है। जिस क्लेम को घटाना है या किसको disapprove करना है, यह राइट इश्योरेंस कम्पनी के पास ही है। यह TPA नहीं कर सकता है। लेकिन देश में जो हजारों लाखों मेडिकलेम पॉलिसी होल्डर्स हैं, उन सबको ये ठग रहे हैं। इसलिए मेरी माँग है कि सीएजी के माध्यम से एक स्पेशल ऑडिट करवायी जाये कि पिछले 5 सालों में हमारे हिन्दुस्तान में मेडिकलेम पॉलिसी होल्डर्स के कितने सारे पैसे ये लोग खा चुके हैं। सर, यह एक बहुत बड़ा घोटला है और इन कम्पनीज के साथ TPAs का nexus है। इसको भंग करना है, इसको तोड़ना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अर्ज करता हूँ कि सीएजी के माध्यम से एक स्पेशल ऑडिट करवा के ये सारे तथ्य पार्लियामेंट के सामने पेश करें, ताकि इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, धन्यवाद।

श्री विवेक गुप्ता (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री अहमद हसन (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री मो. नदीमुल हक (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

† جناب محمد ندیم الحق (مغربی بنگال): مہودے، میں بھی خود کو اس موضوع کے

ساتھ سمبڈھ کرتا ہوں۔

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, while associating myself with the matter raised by the hon. Member, I would like to say that the IRDAI should be put into action. It is their responsibility to see to these things.

DR. K. V. P. RAMACHANDRA RAO (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Sukhendu Sekhar Roy.

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Sukhendu Sekhar Roy.

Cancellation of passenger trains by Moradabad Railway

Division of Northern Railways

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, भारतीय रेल को भारतवासियों की जीवन-रेखा कहा जाता है। उत्तर रेलवे का एक मंडल मुरादाबाद में स्थित है। मुरादाबाद मंडल के अंदर 202 रेलवे स्टेशंस हैं। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत 504 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन आती है। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ लोग मुरादाबाद मंडल के अंदर रेलवे की सेवाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन जुलाई की 27 तारीख को रेलवे की तरफ से एक फरमान जारी किया गया और मुरादाबाद मंडल के अंदर चलने वाली सवारी गाड़ियाँ, जो गरीब लोगों और गाँव-देहात में रहने वाले यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं, ऐसी 19 सवारी गाड़ियाँ बंद करने का निर्देश रेलवे की तरफ से दिया गया है। जिनमें से 16 गाड़ियाँ पूरे तरीके से बन्द कर दी गई हैं और तीन गाड़ियों को हफ्ते में एक या दो दिन चलाया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी जनसंख्या और गरीबों को यात्रा करने और एक छोटे गाँव से दूसरे गाँव या कस्बे तक पहुँचने का एकमात्र सस्ता साधन वहाँ रेलवे के रूप में उपलब्ध है, इसलिए रेलवे की तरफ से पैसेंजर गाड़ियों को बन्द करना निश्चित रूप से सरकार का जन-विरोधी और गरीब-विरोधी कदम है। सर, मैं आपसे यह दरखास्त करूँगा कि आप सरकार को निर्देशित करें और सरकार इस बात का संज्ञान ले। जहाँ आप रेल बजट के वक्त भाषण देते हुए कह रहे थे कि हमारी रेल का बजट जनता का बजट है, लोगों का बजट है, वहीं आप गरीब लोगों को रेल की सुविधाओं से दूर रखने का काम कर रहे हैं। मेरी सरकार से यह अपील है कि वह इस बात पर गौर करे और अगला आदेश जारी करे कि वहाँ कब से रेलगाड़ियाँ चलेंगी, क्योंकि उस आदेश में यह नहीं कहा गया है, बल्कि यह कहा गया है कि अनिश्चितकाल के लिए ये रेलगाड़ियाँ बन्द कर दी गई हैं। अब अगला आदेश कब आएगा? अगला आदेश कब जारी होगा? कहीं ऐसा न हो कि अच्छे दिनों की तरह और काले धन की तरह हमें उसका भी इंतजार ही करना पड़े। इसलिए आप सरकार को निर्देशित करें कि वह पैसेंजर गाड़ियाँ दोबारा चलाने के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे।